

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 272/2019

1. रिछपालसिह पुत्र गुरदीपसिह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्


1. अमरीकसिह पुत्र गुरदीपसिह जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. स्वर्णकौर पत्नी गुरदीपसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिह वाली हाल पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोवरू हमारे बहाजरी श्री महावीरप्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं 23 एनजीसी के खाता सं 139/154 में कुल 3.720 है 0 में से 253/372 यानि 2.530 है 0 आराजी के वादी व प्रतिवादी सं 1 को ब 0 हि 0 ब 0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं 23 एनजीसी के खाता सं 139/154 में से प्रतिवादीया सं 2 स्वर्णकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
वसूल में दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....6.9.19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा) अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी